न्यायालय– प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, मुरैना (म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी– श्री एस0एस0गर्ग)

प्रकरण क्रमांक 118/2015 एच.एम.ए.
फाइलिंग नम्बर 230201039662015

संस्थित दिनांक 24.08.2015

[redacted]..**वादी**

//बनाम//

[redacted]...................................**प्रतिवादी**

....
वादी द्वारा– [redacted], अधिवक्ता।
प्रतिवादी द्वारा– [redacted]।
....

//निर्णय //

// आज दिनांक 30.01.17 को घोषित किया गया//

1– वादी [redacted] द्वारा यह दावा एच0एम0ए0 की धारा 9 के अंतर्गत दाम्पत्य अधिकारों की पुर्नस्थापना हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रतिवादी के विरूद्व दिनांक 09.01.2017 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

3– वादी के अनुसार उसकी शादी प्रतिवादी [redacted] के साथ दिनांक 13.05.2013 को जीवाजीगंज मुरैना में हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सम्मेलन में आर्दश विवाह के रूप में संपन्न होकर प्रतिवादी वादी के यहॉ पत्नि के रूप में आई तब से प्रतिवादी वादी की वैवाहिक पत्नि है। शादी में किसी प्रकार का दान–दहेज नहीं दिया गया था। वादी एवं प्रतिवादी के मध्य शादी के बाद से ही तनावपूर्ण संबंध रहे। प्रतिवादी वादी के यहॉ 8–10 दिन से अधिक नहीं रही, वह हमेशा किसी न किसी बहाने से तो कभी पढ़ाई के बहाने से अपने माता–पिता के घर जाती रही, शादी के छः माह तक यही चलता रहा। प्रतिवादी अपने माता–पिता के बहकावे में आकर वादी व वादी के परिवारीजन के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार कर लड़ाई–झगड़ा करती रही तथा वादी को बिना बताए प्रतिवादी अपने माता–पिता के घर चली जाती था। प्रतिवादी यह कहती थी कि अगर उसे रोकोगे तो वह आत्महत्या कर लेगी तथा वादी एवं उसके परिवार को ऐसा झूंठा फंसा देगी जिससे उन लोगों को जीवन बर्वाद हो

जावेगा। वादी अपनी की सामाजिक प्रतिष्ठा एवं अपने परिवार के भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी के क्रूरतापूर्ण व्यवहार को सहन करता रहा।

4— वादी के अनुसार 10 अगस्त 2014 को प्रतिवादी जेबर एवं चालीस हजार रूपए नकद लेकर अपने पिता के साथ पहने हुए कपड़ों में वादी से यह कहकर गई कि वह जनमाष्टमी मनाकर वापिस आएगी। प्रतिवादी के वापिस नहीं आने पर वादी उसे लेने गया तब उसे पता चला कि प्रतिवादी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम करती है और वह वादी के साथ नहीं आई। पुनः वादी प्रतिवादी को लेने गया तब प्रतिवादी ने कहा कि वह दो—चार दिन बाद आ जाएगी। दिनांक 08.11.2014 को वादी प्रतिवादी को उसके मायके से लेने गया तो प्रतिवादी ने कहा कि वह वादी जैसे मजदूर व्यक्ति के साथ अपना जीवन सुखमय नहीं बिता सकती तथा उसके पिता उसे अच्छी तरह से रखते हैं, वह उन्हीं के साथ रहेगी एवं उसका खर्चा यहीं पर अच्छे से चल रहा है। वादी द्वारा मिन्नतें करने एवं समाज की पंचायत लाने की कहने पर प्रतिवादी ने कहा कि उसे साथ रखने की जिद न करो। प्रतिवादी ने वादी एवं उसके परिवार को झूंठे केस में फसाने की धमकी दी साथ ही कहा कि वह ऐसा काम कर देगी कि पंचायत के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे।

5— वादी का यह भी कहना है कि उसने दिनांक 18.08.2015 को पुलिस अधीक्षक को [redacted] को इस आशय का आवेदन दिया था कि प्रतिवादी अपने माता पिता के बहकावे में आकर वादी के साथ रहने को तैयार नहीं है। वह प्रतिवादी से बहुत प्रेम करता है। वह पत्नि वियोग से बहुत दुःखी होकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहा है उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा है जिससे भूंखा मरने की नौवत आ गई है। प्रतिवादी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर 10000/—रूपए प्रतिमाह कमाकर विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत कर रही है। इस प्रकार वादी ने यह दावा प्रस्तुत करते हुए दाम्पत्य अधिकारों पुनर्स्थापना करने की मांग करते हुए वाद व्यय की मांग की है।

6— प्रकरण में प्रतिवादिया की ओर से दिनांक 29.09.2015 से श्री [redacted] अधिवक्ता दिनांक 16.12.2016 तक उपस्थित होते रहे। दिनांक 09.01.2017 को प्रतिवादिया के विरूद्व [redacted] की गई है।

7— प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नानुसार हैंः—

1— क्या प्रतिवादी ने दाम्पत्य अधिकारों कर्तव्यों का पालन नहीं किया है?

2— सहायता एवं वाद व्यय?

सकारण निष्कर्ष

8— वादी [redacted] के अनुसार उसकी शादी प्रतिवादिया प्रिया गुप्ता के साथ 13 मई 2013 को हिन्दु रीति रिवाज के अनुसार मुरैना में हुआ था। शादी के तीन—चार महीने तक साथ रही। उसके बाद 10 अगस्त 2014 को बिना बताये मायके चली गइ। तब से मायके में रह रही है। वह दो—तीन पर लेने गया, लेकिन वह नहीं आई। प्रतिवादिया चाहती थी कि वादी अपनी समस्त चल—अचल संपत्ति को बेचकर उसके साथ जाकररहे। वर्तमान में वह अपनी माता—पिता के पास झॉसी में निवास कर रही है। इस कथन से साक्षी अखण्डित रहता है। खण्डन साक्ष्य एंव दस्तावेजों के अभाव में इस साक्ष्य पर अविश्वास किया जाने का कोई कारण नहीं है।

9— [redacted] के अनुसार नवम्बर 2014, जनवरी 2015 तथा मई 2015 में वह प्रतिवादिया को लेने गया था, परंतु वह नहीं आई। उसके अनुसार वह अपनी पत्नि का भरण पोषण करने में सक्षम है। उसके अनुसार क्योंकि वह मजदूरी का कार्य करता है। उसका कथन पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि वह ऑफसेट की दुकान पर मजदूरी करता है, परंतु उसके आय के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं दी है। व्यवसाय के संबंध में भी कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं, चूकिं प्रतिवादिया के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही हुई है तथा वादी उसे रखना चाहता है। इन सब तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये इस साक्ष्य पर अविश्वास किया जाने का कोई कारण नहीं है।

10— अतः वादी का दावा अंतर्गत धारा 9 एच0एम0ए0 इस सीमा तक स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादी आकर उसके साथ रहकर दाम्पत्य अधिकारों का पालन करे।

11— प्रतिवादिया का व्यय भी वादी वहन करेगा।

तद्नुसार डिक्री बनाई जावे।

12— अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर 2,000/— रूपये देय हो।

13— इस निर्णय की एक प्रति निःशुल्क प्रतिवादिया को उसके दिये गये पते पर रजिस्टर्ड डाक से भेजी जावे।

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया।

(एस0एस0 गर्ग)
प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय मुरैना म0प्र0

निर्णय दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर,
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(एस0एस0 गर्ग)
प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय मुरैना म0प्र0